

2021/642

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र

(भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

सांगोद

विषय - राजस्व रिकार्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पालवणी की वर्तमान

जमाबंदी संवत् 2074-2077 की खाता संख्या 45 में

मेरा अशुद्ध नाम/जाति श्रीमान् की उड़ी दीतरलाल सा. बलरालिया दर्ज है।

जबकि मेरा शुद्ध नाम/जाति श्रीमान् की उड़ी दीतरलाल सा. पालवणी है।

अतः उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

9358153241

दिनांक :

प्रार्थी

हरि

रिपोर्ट पटवारी एवं जाँच भू. अभि. निरीक्षक

मुताबिक आवेदन पत्र प्रार्थी के अशुद्ध नाम/जाति श्रीमान् की उड़ी दीतरलाल सा. बलरालिया के

स्थान पर शुद्ध नाम/जाति श्रीमान् की उड़ी दीतरलाल सा. पालवणी दर्ज किया जाना उचित है

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

भू. अभि. निरीक्षक वृत्त हरि
हरि

पटवारी हल्का हरि
हरि

‘प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021’

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक

३३०५२

३३०५२

के अनुसार प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति
रिकार्ड में दर्ज करने की अभिशंखा की जाती है।

श्रीमन्मोक्षी कुंजी दीनरत्न सिंह, पालवण, तालुका

तहसीलदार सांगोद

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी

३३०५२

तथा जांच भू. अभि. निरीक्षक

३३०५२

तहसीलदार सांगोद की अभिशंखा के आधार पर प्रार्थी का शुद्ध नाम/जाति

श्रीमन्मोक्षी कुंजी दीनरत्न सिंह

..... दर्ज रिकार्ड की जाए।
श्री, पालवण

उपखण्ड अधिकारी सांगोद

“प्रशासन गांव के संग अभियान - 2021”

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर सांगोद

(शिविर स्थान)

आदेश

दिनांक 16/11/21

प्रार्थी के “खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी 3-475R

व. भू. अ. नि की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 45

नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पालक्या तहसील सांगोद व

जिला सोटा की जमाबन्दी सम्बन्ध 2014/071 में खाता संख्या 45

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	पालक्या	45	राफजानकी छुी दीवखाल जा. अतराधिया	सा. पालक्या

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर

क्रमांक :- 2785
प्रतिलिपि :- सांगोद

दिनांक :- 16/11/21

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ ।

3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर